अनुलग्न।

संख्या– 106/ नि0 अनु0/ 03–22/ नि0वि0/ ढॉचा/ 02

प्रेषक,

अमरेन्द्र सिन्हा,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या निदेशालय,
उत्तरांचल देहरादून।

नियोजन विभाग देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2003

विषय– अर्थ एवं संख्या निदेशालय के संगठनात्मक ढॉचे के सम्बन्ध में संशोधन।

महोदय,

प्रदेश के आर्थिक नियोजन हेतु विभिन्न विषयों पर आंकड़ों के संग्रह विभिन्न सेक्टरों के मध्य सामंजस्य बनाये रखने तथा योजनाओं की संरचना हेतु वांछित आंकड़ों का संग्रह विश्लेषण तथा अनुश्रवण, आर्थिक समीक्षा एवं शोध, जिला एवं राज्य के आय के अनुमान का निर्धारण तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन से समन्वय के उद्देश्य से अर्थ एवं संख्या निदेशालय के संगठनात्मक ढॉचे क पुर्नगठन की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2– इस सम्बन्ध पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या – 221/ नि0 अनु0/ 02–22/ नि0वि0/ ढॉचा/ 02 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को एतद्द्वारा संशोधित करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि माननीय मंत्री परिषद् के निर्णय दिनांक 3 अक्टूबर, 2002 के अनुपालन में नियोजन विभाग के अन्तर्गत अर्थ एवं संख्या, विभाग उसकी समस्त क्षेत्रीय इकाईयों सहित निदेशालय के गठन तथा पूर्व सृजित पदों को परिवर्तित एवं परिवर्द्धन कर संलग्नक– । में उल्लिखित पदों के सृजन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

3–अर्थ एवं संख्या विभाग द्वारा सेन्टर फार मनिटेरिंग इण्डियन इकानामी(सी0एम0आई0ई0) आंकड़ों के एकत्रीकरण विश्लेषण के कार्य हेतु समन्वय करके कार्य किया जायेगा। प्रावैधिक कार्य हेतु संयुक्त निदेशक के दो पदों में से

संयुक्त निदेशक (प्राविधिक–प्रथम) का पद भरा जायेगा किन्तु संयुक्त निदेशक (प्राबैधिक–द्वितीय) एवं उससे सम्बन्धित पदों को फिलहाल नहीं भरा जाये। यदि सी0एम0आई0ई0 से कार्य न कराने का निर्णय उसके कार्यो की गुणवत्ता अथवा अन्य नीति विषयों के अन्तर्गत लिया जाता है तो संयुक्त निदेशक (प्राबैधिक–द्वितीय) एवं उससे सम्बन्धित पदों को भरा जायेगा। यदि इन पदों से सम्बन्धित कार्यों में विभाग पर अतिरिक्त कार्यभार पडता है तो मूल्यांकन आधार पर इन पदों को भरा जाना अपेक्षित होगा।

4–पुर्नगठन के फलस्वरूव कार्टोग्राफिक असिस्टेन्टों को पदोननति का अवसर प्रदान हेतु अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक <u>एक्स–काडर पद</u>, जो अर्थ एवं संख्या संवर्ग से बाहर का होगा, कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट संवर्ग के मृत होने तक प्रस्तावित किया गया है। इसके उपरान्त अर्थ एवं संख्याधिकारी का यह एक्स–काडर पद स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।

5– विभिन्न विभागों में आंकड़ों की गुणवत्ता, विश्वसनीयता, योजना संरचना तथा अनुश्रवण की श्रेष्ठता बनाये रखने के लिये विभागीय कैडर के अन्तर्गत (व्यय नियन्त्रण) विभाग में संयुक्त निदेशक का एक पद, पर्यटन एवं राजस्व संसाधन विभागों में उप निदेशक का एक–एक पद, शिक्षा, सेवायोजन, समाज कल्याण, ग्राम्य विकास, नगर विकास, लोक सेवा आयोग तथा चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य विभाग में अर्थ एवं संख्याधिकारी का एक–एक पद तथा कृषि विभाग हेतु सहायक अर्थ एवं संख्याधिकारी के एक पद को अर्थ एवं संख्या विभाग के कैडर के अन्तर्गत सृजित किये गये है। विभागीय कैडर के उपर्युक्त पदों पर सामान्य नियन्त्रण अर्थ एवं संख्या विभाग का रहेगा किन्तु इन पदों पर होने वाले आवर्तक एवं अनावर्तक व्यय आदि का वहन सम्बन्धित विभाग द्वारा किया जायेगा।

6– नवसृजित जनपदों (रूद्रप्रयाग, चम्पावत, बागेश्वर) में जीप चालक के पद सृजित नहीं किये गये हैं, मितव्ययता को ध्यान में रखते हुये इन जनपदों के अधिकारियों / कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न विभागीय कार्यों के सम्पादन हेतु गाड़ी किराया अनुबन्ध के आधार पर बाहय स्त्रोतों से लिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7– नवसृजित जनपदों की स्थापना/ पदों के सृजम पर होने वाले आवार्तक एवं अनावर्तक व्यय को वहन किये जाने के लिये कृपया यथा समय शासन को प्रस्ताव उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

8– अर्थ एवं संख्या निदेशालय का मुख्यालय देहरदून में ही रहेगा। तथा अर्थ एवं संख्या निदेशालय में निदेशक, अपर सचिव, नियोजन रिक्त होने की स्थिति में पदेन निदेशक होंगे।

9– पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या– 165/ पुर्नगठन/ नियो0निदे0/ 2002–02 देहरादून दिनांक 25 जनवरी, 2002 तथा शासनादेश संख्या– 221/ नि0अनु0/ 02–22/ नि0वि0/ ढॉचा/ 02 दिनांक 10 अक्टूबर, 2002 को इस सीमा तक सशोधित समझा जाये।

10– उपर्युक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः– यथोपरि।

भवदीय,

(अमरेन्द्र सिन्हा)
सचिव।

संख्या– 106/ नि0अनु0/ 03–22/ नि0वि0/ ढॉचा/ 02 दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु–

1– सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तरांचल।
2– महालेखाकार, उत्तरांचल, सत्य निष्ठा भवन, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3– समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव, उत्तरांचल शासन।
4– विशेष कार्याधिकारी/ निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री (विभागीय मंत्री)।
5– वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
6– आयुक्त, गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल।
7– निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
8– अपर सचिव, गोपन(मंत्री परिषद्) अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
9– समस्त जिलाधिकारी, उत्तरांचल।
10– उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/ कुमायूँ मण्डल।
11– समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तरांचल।
12– निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की (जनपद हरिद्वार) को शासकीय गजट में प्रकाशनार्थ एवं 200 अतिरिक्त प्रतियॉं, अभिलेख सहित उपलब्ध कराने हेतु।
13– गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से

(आलोक कुमार)
अपर सचिव।

अर्थ एवं संख्या निदेशालय के लिये ढाँचे का स्वरूप

क्रम सं0	पदनाम	वेतनमान	विकास खण्ड स्तर पर	जिला स्तर पर	मण्डल स्तर पर	मुख्यालय पर काडर में	मुख्यालय पर काडर के बाहर	प्रभाग में कुल पद	विभागीय अन्य विभागों	महायोग
1	निदेशक	16400—450—20000				1		1		1
2	अपर निदेशक	14300—400—18300				1		1		1
3	संयुक्त निदेशक	12000—375—16500				3		3	1	4
4	उप निदेशक	10000—325—15200			2	5		7	2	9
5	अर्थ एवं सांख्यधिकारी	8000—275—13500		13	2	8	1	24	7	31
6	सहा0 अर्थ एवं सं0	5000—150—8000		64	4	6		74	1	75
7	वैयक्तिक सहायक	5500—175—9000		0	0	1		1		1
8	कार्टोग्राफिक असिस्टेन्ट	5000—150—8000		8	2	0		10		10
9	अर्थ एवं सांख्याकीय निरीक्षक/- स0वि0अ0 (सांख्यिकीय)	4500—125—7000	95	29	0	6		130		130
10	मुख्य लिपिक	4500—125—7000				2		2		2
11	आशुलेखक	4000—100—6000			2	2		4		4
12	वरिष्ठ सहायक	4000—100—6000		23	2	4		29		29
13	कनिष्ठ सहायक	3050—75—4590		22	4	6		32		32
14	चालक	3050—75—4590		10	2	1		13		13
15	चतुर्थ श्रेणी	2550—55—3200		36	4	9		49		49
16	डाटा ऐन्ट्री आपरेटर	~~दैनिक वेतन पर~~ outsourcing के माध्यम से								
		योग	95	205	24	55	1	380	11	391

निदेशक

- 1–वैयक्तिक अधिकारी (1 पद)
- 2–चालक (1 पद)
- 3–चपरासी (1 पद)

अपर निदेशक (02 पद)

1. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (1 पद)
2. चपरासी (1 पद)

(संयुक्त निदेशक) लेखा/स्थापना

1. उप निदेशक (1 पद)
2. अर्थ एवं संख्याधिकारी (1 पद)
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (3 पद)
4. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (3 पद)
5. प्रशासनिक अधिकारी (2 पद)
6. प्रधान सहायक (2 पद)
7. वरिष्ठ सहायक (3 पद)
8. कनिष्ठ सहायक (5 पद)
9. चपरासी (3 पद)

(संयुक्त निदेशक) (प्रावैधिक प्रथम)

1. उप निदेशक (2 पद)
2. उप निदेशक (कम्प्यूटर 1 पद)
3. अर्थ एवं संख्याधिकारी (4 पद)
4. अपर सांख्यिकी अधिकारी (11 पद)
5. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (1 पद)
6. वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक (1 पद)
7. चपरासी (2 पद)

(संयुक्त निदेशक) (प्रावैधिक द्वितीय)

1. उप निदेशक (2 पद)
2. अर्थ एवं संख्याधिकारी (3 पद)
3. अपर सांख्यिकी अधिकारी (10 पद)
4. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (1 पद)
5. चपरासी (2 पद)

(संयुक्त निदेशक) (बीस सूत्री)

1. शोध अधिकारी (2 पद)
2. वरिष्ठ प्रशा0 अधि (1 पद)
3. निजी सचिव (1 पद)
4. सहा0 शोध अधि (2 पद)
5. वरिष्ठ सहायक (1 पद)
6. कनिष्ठ सहायक (2 पद)
7. चालक (1 पद)
8. चपरासी (2 पद)

संयुक्त निदेशक (अन्य विभाग हेतु)

1. उप निदेशक (2 पद)
2. अर्थ एवं संख्याधिकारी (7 पद)
3. अपर सां0 अधि0 (1 पद)

फील्ड स्तर पर

जिला स्तर

1. अर्थ एवं संख्याधिकारी (13 पद)
2. अपर सांख्यिकी अधिकारी (59 पद)
3. कार्टोग्राफिक सहायक (3 पद) (मृत संवर्ग घोषित)
4. सहायक सांख्यिकी अधिकारी (26 पद)
5. प्रशासनिक अधिकारी (3 पद)
6. प्रधान सहायक (10 पद)
7. वरिष्ठ सहायक (13 पद)
8. कनिष्ठ सहायक (13 पद)
9. चालक (10 पद)
10. चतुर्थ श्रेणी (36 पद)

मण्डल स्तर

1. उप निदेशक (2 पद)
2. अर्थ एवं संख्याधिकारी (2 पद)
3. अपर सांख्यिकी अधिकारी (4 पद)
4. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (1 पद)
5. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी (1 पद)
6. कार्टोग्राफिक सहायक (1 पद) (मृत संवर्ग घोषित)

5\. वैयक्तिक सहायक (2 पद)
6\. वरिष्ठ सहायक (2 पद)
7\. कनिष्ठ सहायक (2 पद)
8\. चालक (2 पद)
9\. चतुर्थ श्रेणी (4 पद)

विकास खण्ड स्तर

1. सहायक सांख्यिकीय अधिकारी /सहायक विकास अधिकारी (सांख्यिकीय) (95 पद)